भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 78

(जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

"स्वास्थ्य सेवा और जीवनबीमा पर जीएसटी"

78. **श्री राजा राम सिंह:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान कैंसर और अन्य जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी से सरकार द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान बीमा और संबंधित वस्तुओं पर जीएसटी से कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(ग) क्या सरकार ने लाभार्थियों से उच्च जीएसटी दरों की कई शिकायतों के बाद स्वास्थ्य और जीवन बीमा के लिए जीएसटी दर में कमी करने की दिशा में कोई कदम उठाया है; और

(घ) हीरे जैसी विलासिता की वस्तुओं की तुलना में स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और जीवन रक्षक दवाओं पर उच्च जीएसटी दर रखने के पीछे क्या तर्क हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क) : कैंसर की दवाओं और जीवन रक्षक दवाओं पर अर्जित राजस्व का डेटा नहीं रखा जाता है। हालाँकि, निर्दिष्ट कैंसर, जीवन रक्षक और अन्य महत्वपूर्ण दवाओं पर 5% की रियायती जीएसटी दर लागू होती है।

(ख) : स्वास्थ्य सेवा और जीवन बीमा पर जीएसटी से अर्जित राजस्व को नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

नकद में एकत्र किया गया जीएसटी* (करोड़ रुपये में)				
कोटि	बीमा		पुनःबीमा	
वित्तीय वर्ष	(जीवन)	(स्वास्थ्य)	(जीवन)	(स्वास्थ्य)
2019-2020	1,106	995	12	10
2020-2021	2,160	1,350	15	18
2021-2022	8,541	5,356	337	826
2022-2023	9,132	7,638	530	963
2023-2024	8,135	8,263	561	1,484

*डाटा स्रोतः जीएसटीएन

(ग) : जीएसटी दरें और सभी सेवाओं (स्वास्थ्य और जीवन बीमा सहित) पर छूट जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती हैं, जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दोनों सरकारों के सदस्य शामिल हैं।

जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी के मुद्दे को जीएसटी परिषद के समक्ष 09 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित अपनी 54वीं बैठक में रखा गया था। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद जीएसटी परिषद ने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर समग्र रूप से विचार करने के लिए मंत्रियों का समूह (जीओएम) को गठित करने की सिफारिश की। तदनुसार, श्री सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा पर मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया गया था। मंत्रियों के समूह की पहली बैठक 19 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसमें स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर लागू होने वाली जीएसटी दरों के मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

(घ) : सभी सेवाओं और वस्तुओं पर जीएसटी की दरों और छूट को जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दोनों सरकारों के सदस्य शामिल हैं।

वर्तमान में, स्वास्थ्य बीमा सेवाओं पर जीएसटी की मानक दर अर्थात् 18 प्रतिशत जीएसटी लगाई जाती है।

समाज के दिव्यांगों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने वाली विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, जन आरोग्य बीमा नीति, निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना को जीएसटी से छूट दी गई है।

शुद्ध सावधि जीवन बीमा सेवाओं अर्थात् बीमा पॉलसियों, जिसमें बचत/निवेश तत्व शामिल न हों, पर भी मानक दर अर्थात् 18 प्रतिशत जीएसटी लगाई जाती है।

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना आदि जैसी विशिष्ट योजनाओं के तहत दी जाने वाली जीवन बीमा सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है।

इसके अलावा, सभी पूरी तरह से सरकार प्रायोजित बीमा योजनाएं, जैसे आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई, को भी जीएसटी से छूट दी गई है।

जीएसटी-पूर्व (सेवा कर) की अवधि में भी स्वास्थ्य और जीवन बीमा सेवाओं पर मानक दर से कर लगाया जाता था और समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य और सावधि जीवन बीमा संबंधी योजनाओं पर वही छूट दी जाती थी।

ऊपर उल्लिखित, दवाओं पर 5 प्रतिशत या 12 प्रतिशत की रियायती दर से जीएसटी लगाई जाती है। विनिर्दिष्ट दवाओं, जिनमें सामान्यतः जीवन रक्षक और अन्य गंभीर दवाएं शामिल हैं, पर 5 प्रतिशत की निम्न दर से जीएसटी लगाई जाती है।

*****